न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

...ारीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
...स्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 29 / 2025
...ेश दिनांक : 20/06/25
GCMS NO : 2025/52

राजकुमार जांगिड पुत्र भगवानाराम जाति जांगिड निवासी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राजस्थान)

...............वादी

बनाम

1. ताराचन्द दत्तक पुत्र स्व. हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राजस्थान)
2. रूकमादेवी धर्मपत्नी स्व. हनुमान जाति जाट निवासीनी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ़ चूरू(राजस्थान)
3. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर चूरू(राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू
5. उपतहसीलदार सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राजस्थान)

................प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रेकॉर्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 88 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता श्री बजरंग सिंह उपस्थित।
2. श्री निरंजन राठी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02
3. प्रतिवादी संख्या 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 04 पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

–:<u>निर्णय</u>:–

संक्षिप्त में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रतिवादी संख्या 01 के दत्तक पिता एवं प्रतिवादीनी संख्या 02 के पति हनुमाना व गोविन्दा, दयाला के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खसरा संख्या 660 तादादी 3 बीघा वाके रोही ग्राम गुडावड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिसमे से सालासर से रतनगढ़ सड़क निकली जिसमें से 6 बिश्वा भूमि इस सड़क में चली गई जिसका नामान्तरणकरण संख्या 40 दर्ज हुआ एवं सड़क में गई भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सड़क पी.डबल्यू.डी. के नाम दर्ज होकर उसका खसरा नं. 806 / 660 तादादी 6 बिश्वा बना तथा शेष भूमि जो खातेदारों के पास शेष रही उसका नया खसरा नं. 805 / 660 तादादी 2 बीघा 14 बिश्वा बना जिसकी खातेदारी गोविन्दा, दयाला, हनुमाना पुत्रगण अरजन के नाम दर्ज हुई।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

यह कि गोविन्दराम, दयाला व हनुमाना ने अपनी संयुक्त खातेदारी के खेतों का विधिवत विभाजन किया तब खेत खसरा नं. 805/660 तादादी 2 बीघा 14 बिश्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के दतक पिता व प्रतिवादीनी संख्या 2 के पति स्व. हनुमाना के हिस्से पांति में आया जिसकी खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरणकरण संख्या 349 के द्वारा हनुमान पुत्र अरजन के अकेले के नाम दर्ज हो गई।

यह कि खसरा नं. 660 तादादी 3 बीघा में से सालासर से रतनगढ़ सड़क निकली उसमें 6 बिश्वा भूमि गई जिसके अलग राजस्व रेकॉर्ड में खसरा नं. 806/660 बन गये तथा शेष भूमि तत्कालीन खातेदारों की रही उसके खसरा नं. 805/660 तादादी 2 बीघा 14 बिश्वा बने। यह सड़क खसरा नं. 660 में से निकली तो उक्त सड़क के पूर्वी तरफ ज्यादा व पश्चिमी तरफ कम भूमि रही। सड़क से पूर्वी तरफ भूमि रही उसका व पश्चिमी तरफ रही भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में अलग अलग खसरा नं. दर्ज नहीं होकर एक ही खसरा नं. 805/660 दर्ज किया गया।

यह कि खसरा नं. 805/660 तादादी 2 बीघा 14 बिश्वा के एकमात्र खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के दतक पिता एवं प्रतिवादीनी संख्या 2 के पति हनुमान पुत्र अरजन जाति जाट निवासी ग्राम गुडवाड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 14.06.2006 को 5 बिश्वा भूमि जिसके उत्तर में बाकी मांदा भूमि खसरा नं. 805/660 दक्षिण में खेत भगवानाराम पुत्र चोखाराम जाति जाट राव पूर्व मे बाकी मांदा खसरा न. 805/660 की भूमि तथा पश्चिम में सड़क सालासर से रतनगढ़ जाने वाली के मध्य की वादी को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया जिसकी खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरणकरण संख्या 432 दिनांक 05.08.2006 को वादी के नाम पृथक दर्ज कर उसके नये खसरा नं. 1115/805 तादादी 0.05 बिश्वा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर दिये।

यह कि वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 14.06.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 के दतक पिता व प्रतिवादीनी संख्या 2 के पति हनुमान से खेत खसरा नं. 805/660 में से दक्षिणी पश्चिमी तरफ की भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसमें पश्चिमी तरफ सड़क सालासर से रतनगढ़ जाने वाली तथा दक्षिणी में भगवानाराम पुत्र चोखाराम तथा उतरी व पूर्वी तरफ बाकी मांदा भूमि खसरा नं. 805/660 की है। वादी ने अपनी खरीद शुदा भूमि के उसी समय चारों तरफ पक्की दीवार बनाकर पश्चिमी तरफ स्थित सालासर से रतनगढ़ जाने वाली सड़क पर गेट निकाल लिया एवं खरीद करने के 1 वर्ष पश्चात अपनी खरीद शुदा भूमि में पक्के मकान बनाकर परिवार सहित रहना प्रारम्भ कर दिया। पटवारी हल्का ने वादी द्वारा खरीद शुदा भूमि की नक्शा में तरमीम गलत रूप से खेत खसरा नं. 805/660 की भूमि जो सड़क सालासर से रतनगढ़ जाती है उसके पश्चिमी में जो भूमि थी उसमें उतरी तरफ कर दी जबकी वादी ने अपनी भूमि सालासर से रतनगढ़ जाने वाली सड़क के पूर्वी तरफ की खसरा नं. 805/660 की भूमि थी उसमें से दक्षिणी पश्चिमी तरफ की भूमि खरीद की थी उसी पर वादी का कब्जा उपयोग उपभोग है। इस गलत तरमीम से वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

पड़ता है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि अपनी खरीद शुदा भूमि जो विक्रयपत्र में अंकित है के अनुसार वर्तमान खसरा नं. 1310/1251 तादादी 0.5437 हैक्टेयर के दक्षिणी पश्चिमी तरफ सड़क खसरा नं. 806/660 के चिपते ही पूर्वी तरफ तथा भगवानाराम के उत्तरी तरफ की व पूर्वी तरफ शेष भूमि खसरा नं. 1310/1251 के मध्य की भूमि है उस जगह नक्शे में तरमीम की घोषणा करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकित करवाये जिसका वादी कानूनी अधिकारी है।

यह कि खसरा नं. 805/660 तादादी 2 बीघा 14 बिश्वा में से 0.05 बिश्वा भूमि वादी को विक्रय कर देने के बाद वादी की खरीद शुदा भूमि के नये खसरा नं. 1115/805 तादादी 0.05 बिश्वा तथा शेष रही भूमि के नये खसरा नं. 1116/805 तादादी 2 बीघा 0.09 बिश्वा बने। खसरा नं. 1116/805 तादादी 2 बीघा 09 बिश्वा भूमि में से 0.03 बिश्वा भूमि उसके खातेदारों द्वारा विक्रय करने पर इसके नये खसरा नं. 1250/1116 तादादी 0.03 बिश्वा व खसरा नं. 1251/1116 तादादी 2 बीघा 06 बिश्वा बने व खसरा नं. 1251/1116 के खातेदारों द्वारा 0.03 बिश्वा भूमि चन्दादेवी धर्मपत्नी राधेश्याम जांगिड़ को विक्रय कर देने से इसके नये खसरा नं. 1309/1251 तादादी 03 बिश्वा व खसरा नं. 1310/1251 तादादी 0.5437 हैक्टेयर को हनुमान पुत्र अजरन के वारिसान के है प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी ने अपनी खरीद शुदा भूमि के नक्शा एवं जमाबंदी की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी ने कहा कि जमाबंदी एवं नक्शा की नकल ई–मित्र से निकलवाये तब वादी ने ई–मित्र ये जमाबंदी एवं नक्शा की नकल ई–मित्र से निकलवायी तब वादी ने ई–मित्र से नक्शा एवं जमाबंदी की नकल निकलवाकर नक्शे पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर करवाये तब पटवारी हल्का के बताया कि तुमने जो भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था उसकी राजस्व रेकॉर्ड के नक्शा में तत्कालीन पटवारी ने तरमीम गलत कर दी तब वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 से मौखिक निवेदन किया कि मेरी भूमि सड़क सालासर से रतनगढ़ जाने वाली सड़क से पूर्वी तरफ वर्तमान खसरा नं. 1310/1251 के दक्षिणी पश्चिमी तरफ की है पटवारी हल्का ने मेरी खरीद शुदा भूमि नक्शे में तरमीम करते समय सड़क से पश्चिमी तरफ कर दी जो गलत है उसको शुद्ध करवाओं तो प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 ने कहा कि करवा देंगे तथा टालमटोल करते रहे लेकिन अंतिम बार दिनांक 02.02.2025 को नक्शे में तरमीम करवाने से साफ इन्कार कर दिया यही दावा का हैतुक है व वादी को वादाधार अपनी खरीद शुदा भूमि का रेकार्डडेड खातेदार एवं कब्जा उपयोग उपभोग की होने से सतत प्राप्त है।

दावा प्रस्तुत होने के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राजीनामा पेश किया गया व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से इकबाल जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने का अंकन वादी द्वारा किया गया व प्रतिवादी संख्या 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ की ओर से रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान नक्शा

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

वादी संख्या 01 द्वारा क्रय की गई भूमि की तरमीम अशुद्ध दर्ज है जिसको मुताबिक विक्रयपत्र एवं मौका अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है व ख.नं. 1310/1251 रकबा 0.5437 हैक्टेयर को दो अलग-अलग ख.नं. जो सड़क के पश्चिम तरफ रकबा 0.0632 हैक्टेयर व सड़क के पूर्वी तरफ 0.4805 हैक्टेयर किया जाना उचित है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व राजीनामा अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही गुडावडी तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा नं. 1310/1251 रकबा 0.5437 हैक्टेयर जो वर्तमान में सड़क के पूर्वी तरफ स्थित है। वर्तमान खसरा नं. 1310/1251 तादादी 0.5437 हैक्टेयर में से जो भूमि वादी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2006 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था उस जगह नक्शा व रिकॉर्ड में संशोधन कर 0.0632 हैक्टेयर वादी के नाम दर्ज की जावे एवं खसरा नं. वर्तमान 1115/805 रकबा 0.0632 हैक्टेयर सड़क से पश्चिमी तरफ स्थित है की खातेदारी वादी के नाम से हटाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज की जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्राकिंत एवं हस्ताक्षरित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी व मुकदमेइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

बमुकाम अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़

बइजलास श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

राजकुमार बनाम ताराचन्द आदि

राजस्व वाद घोषणात्मक एवं रेकार्ड संशोधन बाबत्

मुकदमा न0 29 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु .... हाजरी श्री बजरंग सिंह एड. मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुद्दापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही गुडावडी तहसील सुजानगढ के खेत खसरा नं. 1310/1251 रकबा 0.5437 हैक्टेयर जो वर्तमान में सड़क के पूर्वी तरफ स्थित है। वर्तमान खसरा नं. 1310/1251 तादादी 0.5437 हैक्टेयर में से जो भूमि वादी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2006 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था उस जगह नक्शा व रिकॉर्ड में संशोधन कर 0.0632 हैक्टेयर वादी के नाम दर्ज की जावे एवं खसरा नं. वर्तमान 1115/805 रकबा 0.0632 हैक्टेयर सड़क से पश्चिमी तरफ स्थित है की खातेदारी वादी के नाम से हटाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज की जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 06 2025

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा सुजानगढ़

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्प... महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।